संख्या–2198 / सैंतीस–2–2018–27(81) / 2002टीसी

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनाँक– 11 जून, 2018

विषयः– **उत्तर प्रदेश पशु प्रजनन नीति–2018 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–191 / पशुधन–2 / 1(16)पशु प्रजनन नीति / 2017–18, दिनांक–20.04.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश पशु प्रजनन नीति, 2018 बनाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– प्रदेश में स्वदेशी पशु प्रजातियों का संरक्षण अति आवश्यक है क्योंकि उनमें उत्पादन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिकूल वातावरण तथा अधिक व कम तापक्रम में भी रहने में समर्थ होना इत्यादि प्रमुख गुण हैं। इसलिए संरक्षण का उद्देश्य ऐसी नस्लों के साथ जुड़ा होना चाहिए, जो सीधे तौर पर पशुपालकों के हित में हों। पशुधन नस्लों के आनुवंशिक गुण तथा विविधता को बनाये रखने हेतु अधिक संख्या में प्रजनन योग्य पशुओं की आवश्यकता होती है। इस हेतु संरक्षण का सर्वमान्य तरीका "इन सीटू कन्जर्वेशन (संरक्षण)" है। उच्च गुणवत्तायुक्त पशुओं का चयन कर चयनित प्रजनन कार्यक्रम द्वारा पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाया जा रहा है।

प्रदेश में पशु प्रजनन का आच्छादन 5040 कृ0ग0 केन्द्रों, एवं 5048 पैरावेट्स / बायफ संस्था के केन्द्रों के सहयोग से किया जा रहा है। पशुओं में बांझपन समस्या के निवारण हेतु विभाग एवं उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के माध्यम से व्यापक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश में देसी गाय, संकर गाय एवं भैंस की उत्पादकता का स्तर 2.59, 7.85 एवं 4.66 कि0ग्रा0 प्रति पशु प्रति दिन है, जिसे बढ़ाया जाना नितान्त आवश्यक है ताकि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिगत प्रति व्यक्ति दुग्ध की आवश्यक उपलब्धता का स्तर प्राप्त किया जा सके।

3– प्रदेश में पशु प्रजनन नीति वर्ष 2002 से प्रभावी है, जिसे वर्तमान परिस्थिति एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप संशोधित / पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता है ताकि पशुपालकों को उनके रख–रखाव पर कम व्यय होने से अतिरिक्त आय के सृजन में बढ़ोत्तरी हो सके । वित्तीय वर्ष 2017–18 में 1 करोड़ 32 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन का लक्ष्य है। कृत्रिम गर्भाधान कार्य में स्वदेशी प्रजाति को बढावा दिये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक से अधिक डैम यील्ड (माँ का दुग्ध उत्पादन) वाले प्रजनन योग्य सांड़ यथा मुर्रा 4000 ली0, एच0एफ0 8000 ली0, जर्सी 5500 ली0, साहीवाल 4000 ली0, थारपारकर 4200 लीटर का गुणवत्तायुक्त अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में भ्रूण प्रत्यारोपण एवं उच्च गुणवत्तायुक्त सेक्स्ड सार्टेड सीमन (वर्गीकृत वीर्य) का भी प्रयोग कृत्रिम गर्भाधान कार्य में किया जा रहा है, जिससे गुणवत्तायुक्त संतति उत्पन्न होने से पशुपालकों को अधिक दुग्ध की प्राप्ति से उनकी आय में वृद्धि होगी।

4– वर्तमान पुनरीक्षित / संशोधित पशु प्रजनन नीति–2018 में विदेशी प्रजाति के रूप में जर्सी तथा जर्सी क्रास, तथा पूर्व से प्रदेश में चिन्हित स्वदेशी गोवंश प्रजातियों यथा साहीवाल, हरियाना, गंगातीरी एवं थारपारकर के अतिरिक्त गिर गोवंश प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अतिहिमीकृत वीर्य की उपलब्धता हेतु नीति में संशोधन करते हुए निम्नानुसार पुनरीक्षित / संशोधित उत्तर प्रदेश पशु प्रजनन नीति–2018 प्रख्यापित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

उद्देश्यः

1 क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप वीर्य की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना।
2 भारतीय मूल के गोवंशीय / महिषवंशीय प्रजातियों का संरक्षण एवं संबर्धन।
3 गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाना।
4 राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों पर प्रजातिवार उच्च गुणवत्तायुक्त प्रजनन योग्य नर वत्सों को उत्पन्न कर अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन एवं नैसर्गिक अभिजनन हेतु उपयोग किया जाना।

समस्त प्रभारी

21/6/18
सी ई ओ

रणनीतिः

1 विदेशी प्रजातियों का विभिन्न पशु रोगों के प्रति संवेदनशील होने के कारण प्रदेश की जलवायु आधारित एवं क्षेत्र विशेष के अनुकूल स्वदेशी प्रजातियों यथा साहीवाल, हरियाना, थारपारकर, गंगातीरी एवं गिर को क्षेत्र विशेष/जलवायु अनुकूलन के आधार पर बढ़ावा दिया जायेगा तथा पशुपालकों की माँग के अनुरूप गिर प्रजाति को प्रदेष में प्रजनन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

2 स्वदेशी नस्ल का अपग्रेडेशन एवं सेलेक्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से संरक्षण एवं सबर्धन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

3 स्वदेशी प्रजातियों के सेक्स्ड सार्टेड सीमेन (वर्गीकृत वीर्य) की प्रदेश में उपलब्धता सुनिश्चित कर व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से उपयोग पर बल दिया जायेगा ताकि अधिक उन्नतशील मादा संतति की प्राप्ति संभव हो सके।

4 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में साहीवाल गाय का अतिहिमीकृत/वर्गीकृत वीर्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराने से पूर्व साहीवाल गाय की उम्र, औसत दुग्ध उत्पादन प्रति दिन, दुग्धावस्था अवधि, थनैला रोग की प्रवृत्ति, वसा प्रतिशत, एवं प्रथम ऋतुकाल की आयु की जानकारी/सूचना का अभिलेखीकरण करते हुए कृत्रिम गर्भाधान से आच्छादित किया जायेगा।

5 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लगभग एक ही रंग की गिर तथा साहिवाल प्रजाति होने के कारण इन प्रजाति की गायों में कृत्रिम गर्भाधान में विशेष सतर्कता बरती जायेगी ताकि किसी एक प्रजाति के वीर्य स्ट्राज का उपयोग दूसरी प्रजाति में न हो तथा शुद्ध जर्म प्लाज्म को नष्ट होने से बचाया जा सके।

6 उक्त के साथ ही साथ बुन्देलखण्ड क्षेत्र में गिर/साहीवाल नस्ल से उत्पन्न नर वत्सों का बधियाकरण नियमित रूप से किया जायेगा ताकि अनियंत्रित पशु प्रजनन पर रोक लगाकर शुद्ध जर्मप्लाज्म को नष्ट होने से बचाया जा सके।

7 विदेशी नस्ल के रूप में जर्सी एवं जर्सी क्रास प्रजाति को बढ़ावा दिया जायेगा ताकि पशुपालकों को उनके दुग्ध उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

8 संकर प्रजनन में विदेशी नस्ल का रक्त प्रतिशत अधिकतम 62.5 तक ही रखा जायेगा परन्तु प्रदेश में उपलब्ध शुद्ध विदेशी नस्ल यथा एच.एफ. व एच.एफ. क्रास पशुओं में एच0एफ0 नस्ल के शुद्ध या क्रासब्रेड वीर्य की उपलब्धता पशुपालकों की आवश्यकता व मॉग के अनुरूप उपलब्ध करायी जायेगी।

9 एच.एफ. एवं एच.एफ. क्रास की आवश्यकता/मांग पर तथा वीर्य के प्रयोग से पूर्व सांड़ की माँ का दुग्ध उत्पादन/वसा व एस.एन.एफ. प्रतिशत का मानक निम्नवत होगाः–

गोवंशीय प्रजाति	भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक		फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथारिटी आफ इण्डिया (Direction under section 16(5) dated 2 August, 2017)
	दुग्ध उत्पादन लीटर में तथा 300 दिन में	वसा प्रतिशत	एस0एन0एफ0 प्रतिशत
एच.एफ.	5600	3.50	8.3
एच.एफ. कास	5000	4.00	8.3

कृत्रिम गर्भाधान कार्य में स्वदेशी प्रजाति को बढावा दिये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक से अधिक डैम यील्ड (माँ का दुग्ध उत्पादन) वाले प्रजनन योग्य सांड़ यथा मुर्रा 4000 ली0, एच0एफ0 8000 ली0, जर्सी 5500 ली0, साहीवाल 4000 ली0, थारपारकर 4200 लीटर का गुणवत्तायुक्त अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों यथा ए.बी.सी. सलोन, रायबरेली, बायफ डेवलपमेन्ट रिसर्च फाउन्डेशन, पूणे, जीनस ब्रीड़िग इण्डिया, पूणे, गुजरात लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड, पाटन, गुजरात, हरियाणा लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड, हिसार, हरियाण एवं पंजाब लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड, नाभा, पटियाला, पंजाब से क्रय कर क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जा रहा है।

10 अधिक विदेशी आनुवंशिक गुणों वाले क्रासब्रेड पशुओं का जिनके रख रखाव पर अधिक व्यय हो रहा है तथा पशुपालकों को यथोचित लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है में बैक क्रसिंग स्वदेशी गोवंश के उच्चगुणवत्तायुक्त वीर्य/वर्गीकृत वीर्य से किया जायेगा।

11 प्रजाति विशेष के प्रजनन गुणों यथा दुग्धावस्था अवधि, आहार दुग्ध अनुपात, प्रथम ब्यांत के समय उम्र, प्रथम ऋतुकाल की आयु, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा उक्तानुसार ही पशु अनुवांशिक गुणों का निर्धारण करते हुए नर पशुओं को चिन्हित कर उच्च गुणवत्तायुक्त अतिहिमीकृत वीर्य का उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

12 मुर्रा प्रजाति की भैंसो का आनुवंशिक उच्चीकरण (अपग्रेडेशन) द्वारा विकास किया जायेगा। महिषवंशीय प्रजाति में जैसा प्रादेशिक पशु प्रजनन नीति में वर्णित है उक्तानुसार प्रभावी रणनीति तैयार करते हुए लगभग 80 लाख भैंसों को आगामी पॉच वर्षों में आच्छादित किया जायेगा।

13 उच्च गुणवत्तायुक्त अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को पशुपालकों के द्वार तक पहुॅचाया जायेगा।

14 स्वदेशी प्रजातियों के नर वत्सों के संरक्षण एवं विकास हेतु सतत् प्रयास किया जायेगा।

15 गिर प्रजाति के नर वत्सों का नियमित बधियाकरण किया जायेगा, जिससे अनियंत्रित प्रजनन को रोका जा सकेगा।

16 दुग्ध उत्पादन के लिये निम्न स्तरीय गोवंशीय/अवर्णित पशुओं को उच्च गुणवत्तायुक्त जर्सी/साहीवाल/थारपारकर प्रजाति के अतिहिमीकृत वीर्य से संकरण कराया जायेगा।

17 गोवंशीय पशुओं की स्थापित भारतीय मूल की प्रजातियों/लाइक (समरूप) प्रजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातिवार उच्च गुणवत्तायुक्त अतिहिमीकृत वीर्य से सतत् कृत्रिम गर्भाधान द्वारा अनुवांशिक सुधार किया जायेगा।

18 संकर प्रजनन हेतु जर्सी प्रजाति के अतिहिमीकृत वीर्य का प्रयोग कृत्रिम गर्भाधान में किया जायेगा।

19 संकर संतति में विदेशी प्रजाति के रक्त को 62.5 प्रतिशत तक रखे जाने हेतु संकर मादा संतति (एफ–1) को 50–62.5 प्रतिशत विदेशी (जर्सी) रक्त के अतिहिमीकृत वीर्य से संकरण कराया जायेगा।

20 उत्तम प्रजनन एवं उच्च गुणवत्ता वाले सांड़ों की प्राप्ति हेतु वैज्ञानिक आधार पर आनुवंशिकी को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध पशुधन में से चयन किया जायेगा।

21 कृत्रिम गर्भाधान तथा नैसर्गिक अभिजनन हेतु चिन्हित प्रजातियों का प्रजातिवार मानकों का निर्धारण किया जायेगा तथा समस्त मानकों को अंगीकृत करते ही केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई (सी0एम0यू0) द्वारा प्रदत्त 'ए' एवं 'बी' ग्रेड अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों से ही तैयार वीर्य स्ट्राज का उपयोग प्रजनन कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रजातिवार निम्नांकित मानकों के अनुसार उपयोग किया जायेगा।

प्रजाति	माँ का दुग्ध उत्पादन (कि0ग्रा0 में)		
	प्रथम	अधिकतम	वसा प्रतिशत
एच.एफ. शुद्ध	4500	5600	3.5
जर्सी शुद्ध	3000	3750	5
सहीवाल	2400	3000	4
गिर	2400	3000	4.5
थारपारकर	2000	2500	4
हरियाना	1600	2000	4
एच.एफ. क्रास	4000	5000	4
जर्सी क्रास	2800	3500	4.5
मुर्रा	2400	3000	7
भदावरी	1300	1600	8

22 बुल मदर प्रक्षेत्रों से प्रजनन योग्य सांड प्राप्त किये जाने हेतु प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त उन क्षेत्रों से भी प्रजनन योग्य उच्च गुणवत्तायुक्त सांड़ों को

चिन्हित किया जाना है जहाँ फील्ड परफारमेन्स अभिलेखन कार्यक्रम निष्पादित किया जा रहा है।

23 स्वदेशी गोवंशीय साहीवाल, हरियाना, थारपारकर एवं गंगातीरी नस्ल की प्रजातियों को जर्सी से संकर प्रजनन द्वारा एफ–1 पीढ़ी के सांड़ो का उत्पादन किया जायेगा तथा उत्पादित संकर जर्सी सांड़ों में विदेशी रक्त का प्रतिशत 62.5 प्रतिशत तक ही रखा जायेगा।

24 महिषवंशीय पशुओं के विकास हेतु मुर्रा प्रजाति का अप–ग्रेडेशन हेतु उपयोग किया जायेगा। मुर्रा सांड बुल मदर प्रक्षेत्रों से अथवा फील्ड परफारमेन्स अभिलेखन के आधार पर अथवा अन्य विश्वसनीय संस्थानो यथा सी0सी0बी0एफ0, सी0एच0आर0एस0 आदि से प्राप्त किया जायेगा।

25 नियमित संतति परीक्षण किया जाना तथा मादा संतति को उचित चिकित्सकीय/प्रबन्धन सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा।

26 पशुचिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों/कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर प्रादेशिक पशु प्रजनन नीति के अनुरूप विभिन्न प्रजातियों के वीर्य स्ट्राज संरक्षित किए जाने हेतु विभाग के पास संसाधन उपलब्ध है तथा समय–समय पर संसाधनों की आवष्यकता की पूर्ति विभागीय बजट एवं भारत सरकार के वित्तीय सहयोग किया जाता रहेगा ताकि पशुपालकों के पशुओं हेतु कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग किया जा सके एवं उच्चगुणवत्तायुक्त वीर्य स्ट्राज को किसी भी दषा में खराब नहीं होने दिया जायेगा।

27 वांछित गुणों वाले सांड जो वीर्य उत्पादन हेतु प्रयुक्त नहीं किये जा सकेगें उन्हे सूदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहॉ कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है, नैसर्गिक अभिजनन हेतु वितरित किया जायेगा। सांडों के क्षेत्रों में वितरण से पूर्व प्रजातिवार निर्धारित न्यूनतम मानक को ध्यान में रखा जायेगा।

28 नैसर्गिक अभिजनन हेतु चिन्हित क्षेत्रों में रोग परीक्षणोपरान्त सांड़ों की उपलब्धता सुनिष्चित की जायेगी तथा सांड़ों का चक्रानुक्रम निश्चित अवधि पर सुनिश्चित कराया जायेगा जिससे कि अन्तः प्रजनन (इनब्रीडिंग) की समस्या उत्पन्न न हो सके।

29 कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं की क्षमता में विकास हेतु समय–समय पर प्रषिक्षण तथा पशुपालकों में कृत्रिम गर्भाधान/वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान को अपनाये जाने तथा लाभान्वित होने हेतु जागरूकता अभियान कार्यक्रम संचालित किये जायेगें।

30 प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान से जुड़े समस्त कार्यकर्ताओं का पंजीकरण किया जायेगा।

31 उत्पन्न संततियों की यू.आई.डी. टैगिंग एवं अभीलेखीकरण का कार्य अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।

32 वर्तमान उत्पादकता के स्तरों को जानने और प्रजनन के प्रभाव की जानकारी के लिए विभिन्न क्षेत्रवार दुधारू नस्लों को डी0ए0डी0एफ0 की मानक गाइड लाइन के अनुसार पर्यवेक्षण रिकाडिंग सिस्टम के अधीन रखा जायेगा जैसा कि राष्ट्रीय डेयरी योजना–1 अन्तर्गत विभिन्न पी0 टी0 (प्रोजनी टेस्टिंग) एवं पी0एस0 (पेडिग्री सेलेक्शन) परियोजनाओं के लिए निर्धारित है।

33 प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा स्पूरियस सीमेन स्ट्राज का उत्पादन कर आपूर्ति करने पर प्रस्तावित ब्रीड़िंग एक्ट के अनुसार समूचित कार्यवाही की जायेगी।

34 प्रदेश में वीर्य स्ट्राज उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के माध्यम से ही जनपदों को कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराने हेतु आपूर्ति की जायेगी

35 विकास खण्डवार/पशु चिकित्सालयवार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पशुधन प्रसार अधिकारियों, पैरावेट्स द्वारा किये जा रहे कृत्रिम गर्भाधान, उत्पन्न संततियों का सत्यापन/समीक्षा का कार्य पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम का मूल्यांकन बाह्य संस्था (थर्ड पार्टी) से भी कराये जाने हेतु शासन के निर्देशानुसार विभाग/संस्था को चिन्हित करते हुए मूल्यांकन का कार्य कराया जायेगा।

36 पशुचिकित्साविद् अपने कार्य क्षेत्र में बॉझपन समस्या से ग्रसित दुधारू पशुओं की चिकित्सा एवं दुग्ध उत्पादन में लाये जाने हेतु जिम्मेदारी दी जायेगी।

37 प्रादेशिक पशु प्रजनन नीति की समीक्षा/पुनर्विचार प्रत्येक दस वर्षों में की जायगी।

38 कृत्रिम गर्भाधान का नियमित प्रशिक्षण कराया जाय जिसमें क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं/प्रगतिशील पशुपालकों को अवश्य सम्मिलित किया जाय तथा ब्रीड़िग पालिसी की समुचित जानकारी उनके ज्ञान स्तर को ध्यान में रखते हुए उक्तानुसार सरल भाषा में तैयार कर प्रसारित की जायेगी।

39 दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य एवं उन्नत प्रजनन चक्र हेतु वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता के लिए प्रदेश में चारा नीति बनाते हुए आवश्यकतानुसार चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

40 मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों से प्राप्त प्रजातिवार वीर्य स्ट्राज की मांग के अनुसार ही आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी तथा देश/प्रदेश के समस्त वीर्य उत्पादक इकाईयों को सूचना से अवगत भी कराया जायेगा।

41 प्रजातिवार फील्ड परफारमेन्स रिकार्डिंग की जायेगी।

42 उन्नत प्रजातियों के विकास हेतु रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के तहत प्रदेश के समस्त जनपदों में ब्रीडर्स एसोसिएशन एवं कम्पनी एक्ट के अंतर्गत पशुपालक उत्पादक संगठन बनाये जाने हेतु रणनीति तैयार की जायेगी ताकि पशुपालकों द्वारा उत्पादित दूध एवं अन्य पशुजन्य उत्पादों की बिक्री हेतु समुचित व्यवस्था सुनिष्चित हो सके तथा पशुपालकों को लाभकारी मूल्य की प्राप्ति हो सके।

43 गोसदन एवं गोशालाओं में प्रादेशिक पशु प्रजनन नीति के अनुरूप कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकतानुरूप बजट की व्यवस्था की जायेगी।

44 प्रदेश की कुछ प्रजातियों यथाः केनकथा, खेरीगढ़, पँवार, मेवाती के संरक्षण एवं संवर्द्धन पर भी ध्यान दिया जायेगा।

45 केनकथा प्रजाति के पशुओं को राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, सैदपुर ललितपुर तथा खेरीगढ़/पँवार प्रजाति को राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, मंझरा लखीमपुर खीरी पर संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु संरक्षित किया जायेगा। इन प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त नर की उपलब्धता होने पर इनके मूल प्रजनन क्षेत्र में नैसर्गिक अभिजनन के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रजातिवार प्रजनन संभाग

गोवंशीय प्रजातिः–

1. साहीवाल प्रजाति का प्रजनन क्षेत्र बुन्देलखण्ड को छोड़ कर प्रदेश के शेष जनपदों में चिन्हित है, परन्तु बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुपालकों की मॉग के अनुसार साहीवाल प्रजाति का अतिहिमीकृत वीर्य/वर्गीकृत वीर्य उपलब्ध कराया जायेगा।
2. हरियाना प्रजाति का प्रजनन क्षेत्र पश्चिम संभाग के जनपदों में चिन्हित है परन्तु बुन्देलखण्ड क्षेत्र को छोड़ कर प्रदेश में किसी भी जनपद में पशुपालकों की मॉग के अनुसार हरियाना प्रजाति का अतिहिमीकृत वीर्य/वर्गीकृत वीर्य उपलब्ध कराया जायेगा।
3. गंगातीरी प्रजाति का प्रजनन क्षेत्र पूर्वी संभाग के जनपदों में चिन्हित है।
4. थारपारकर प्रजाति का प्रजनन क्षेत्र बुन्देलखण्ड संभाग के जनपदों में चिन्हित है।
5. गिर प्रजाति का अतिहिमीकृत वीर्य/वर्गीकृत वीर्य पशुपालकों की माँग के अनुरूप प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
6. जर्सी प्रजाति का प्रजनन क्षेत्र प्रदेश के समस्त जनपदों में चिन्हित है।
7. होल्स्टीन फ्रीजीयन प्रजाति का प्रजनन क्षेत्र बुन्देलखण्ड को छोड़ कर प्रदेश के शेष जनपदों में चिन्हित है परन्तु पशुपालकों की मॉग के अनुसार इस प्रजाति का अतिहिमीकृत वीर्य/वर्गीकृत वीर्य उपलब्ध कराया जायेगा।
8. केनकथा प्रजाति के पशुओं को राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, सैदपुर ललितपुर तथा खेरीगढ़/पँवार प्रजाति को राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, मंझरा लखीमपुर खीरी पर संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु संरक्षित किया जायेगा।

महिषवंशीय प्रजातिः–

1. मुर्रा प्रजाति का प्रजनन क्षेत्र प्रदेश के समस्त जनपदों में चिन्हित है।
2. भदावरी प्रजाति का प्रजनन क्षेत्र यमुना एवं चम्बल नदी का किनारा, आगरा (भदावर), जालौन (माधौगढ), इटावा एवं औरैया चिन्हित है।

विदेशी प्रजाति के रक्त प्रतिशत की अधिकतम बाध्यता

संकर प्रजनन में विदेशी नस्ल का रक्त प्रतिशत 62.5 तक ही सीमित रखा जाना है।

विस्तृत विवरण

पुनरीक्षित पशुप्रजनन नीति 2018 (उत्तर प्रदेश)					क्षेत्र/संभाग	अन्य क्षेत्र/संभाग (अतिहिमीकृत वीर्य की आपूर्ति)
प्रजाति	प्रथम संकरण		तद् संकरण			
	सांड	लक्षित समूह	सांड	लक्षित समूह		

गोवंशीय	शुद्व साहीवाल	अवर्णित	शुद्व साहीवाल	सहीवाल (ग्रेडेड)	मध्य संभाग	अन्य संभाग बुन्देलखण्ड के अतिरिक्त (पशुपालकों की मांग पर आपूर्ति की जायेगी)
	शुद्व साहीवाल	सहीवाल (ग्रेडेड)	शुद्व साहीवाल	शुद्व साहीवाल		
	शुद्व साहीवाल	शुद्व साहीवाल	शुद्व साहीवाल	शुद्व साहीवाल		
	शुद्व हरियाना	अवर्णित	शुद्व हरियाना	हरियाना (ग्रेडेड)	पश्चिमी संभाग	अन्य संभाग बुन्देलखण्ड के अतिरिक्त
	शुद्व हरियाना	हरियाना (ग्रेडेड)	शुद्व हरियाना	शुद्व हरियाना		
	शुद्व हरियाना	शुद्व हरियाना	शुद्व हरियाना	शुद्व हरियाना		
	शुद्व गंगातीरी	अवर्णित	शुद्व गंगातीरी	गंगातीरी (ग्रेडेड)	पूर्वी संभाग	कोई नही
	शुद्व गंगातीरी	गंगातीरी (ग्रेडेड)	शुद्व गंगातीरी	शुद्व गंगातीरी		
	शुद्व गंगातीरी	शुद्व गंगातीरी	शुद्व गंगातीरी	शुद्व गंगातीरी		
	शुद्व थारपारकर	अवर्णित	शुद्व थारपारकर	थारपारकर (ग्रेडेड)	बुन्देलखण्ड संभाग	–
	शुद्व थारपारकर	थारपारकर (ग्रेडेड)	शुद्व थारपारकर	शुद्व थारपारकर		
	शुद्व थारपारकर	शुद्व थारपारकर	शुद्व थारपारकर	शुद्व थारपारकर		
	शुद्व जर्सी	शुद्व जर्सी	शुद्व जर्सी	शुद्व जर्सी	सम्पूर्ण प्रदेश	
	शुद्व जर्सी	अवर्णित सीमित स्तर	संकर जर्सी	संकर जर्सी		
	संकर जर्सी	संकर जर्सी	संकर जर्सी	संकर जर्सी		
	शुद्व होल्स्टीन फ्रीजीयन	शुद्व होल्स्टीन फ्रीजीयन	शुद्व होल्स्टीन फ्रीजीयन	शुद्व होल्स्टीन फ्रीजीयन	बुन्देलखण्ड संभाग के अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रदेश	
	शुद्व होल्स्टीन फ्रीजीयन	अवर्णित सीमित स्तर	संकर होल्स्टीन फ्रीजीयन	संकर होल्स्टीन फ्रीजीयन		
महिषवंशीय	शुद्व मुर्रा	अवर्णित	शुद्व मुर्रा	अवर्णित	सम्पूर्ण प्रदेश	
	शुद्व मुर्रा	मुर्रा (ग्रेडेड)	शुद्व मुर्रा	मुर्रा (ग्रेडेड)		
	शुद्व मुर्रा	शुद्व मुर्रा	शुद्व मुर्रा	शुद्व मुर्रा		
	शुद्व भदावरी	अवर्णित	शुद्व भदावरी	अवर्णित	यमुना एवं चम्बल नदी का किनारा, आगरा(भदावर), जालौन(माधौगढ), इटावा, औरैया।	
	शुद्व भदावरी	भदावरी (ग्रेडेड)	शुद्व भदावरी	भदावरी (ग्रेडेड)		
	शुद्व भदावरी	शुद्व भदावरी	शुद्व भदावरी	शुद्व भदावरी		
नोट–संकर प्रजनन हेतु विदेशी नस्ल के अनुवांशिक गुणों का स्तर 62.5* प्रतिशत तक ही सीमित रखा जाना है।						

कार्यान्वयन व्यवस्थाः–

प्रदेश में संचालित प्रजनन सम्बन्धी कार्यक्रमों यथाः अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों द्वारा वीर्य उत्पादन, कृत्रिम गर्भाधान में समान्य वीर्य स्ट्राज/वर्गीकृत वीर्य स्ट्राज का उपयोग, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी का विस्तार, राष्ट्रीय गोकुल मिशन/नेशनल बोवाइन ब्रीडिंग कार्यक्रम तथा कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आदि प्रादेशिक पशु प्रजनन नीति के अन्तर्गत ही समावेशित होंगे, जिससे प्रदेश में क्षेत्रवार व प्रजातिवार उपलब्ध पशुधन का उन्नयन ठीक ढंग से हो सकेगा। पशु प्रजनन नीति के समुचित अनुपालन से उपलब्ध पशुधन का पीढ़ी दर पीढ़ी सतत् उन्नयन हो सकेगा,

जिससे प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता में निरन्तर बृद्धि हो सकेगी। पशुधन उत्पादकता में बृद्धि से प्रदेश के पशुपालकों की आय में बढ़ोत्तरी के साथ–साथ जीवन स्तर में भी सुधार हो सकेगा।

5– कृपया उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश पशु प्रजनन नीति, 2018 के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाये।

संवदीय,

9/8/17

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0–2198(1)/सैंतीस–2–2018– तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त उप निदेशक/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. वित्त/न्याय/कृषि/दुग्ध विकास/नियोजन विभाग।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।